SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

मानवाधिकार आयोग के परिप्रेक्ष्य में बालिका भ्रूण हत्या : एक अध्ययन

दीप्ति कुशवाह, (Ph.D.),
ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
दीप्ति कुशवाह, (Ph.D.),
ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 08/12/2020
Revised on : -----
Accepted on : 15/12/2020
Plagiarism : 04% on 09/12/2020

Plagiarism Checker X Originality Report

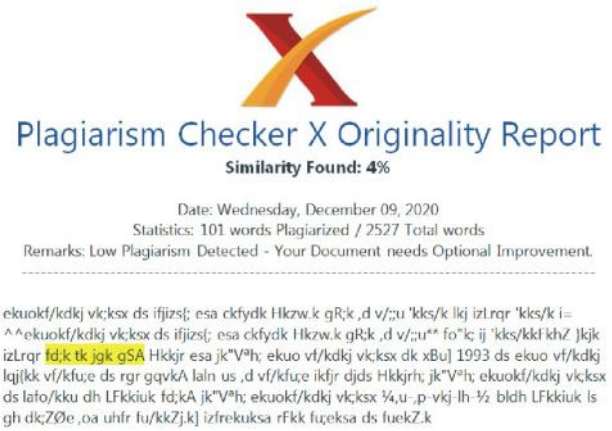

Similarity Found: 4%

Date: Wednesday, December 09, 2020
Statistics: 101 words Plagiarized / 2527 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

ekuokf/kdkj vk;ksx ds ifjizs{; esa ckfydk Hkzw.k gR;k ,d v/;;u 'kks/k lkj izLrqr 'kks/k i= ^^ekuokf/kdkj vk;ksx ds ifjizs{; esa ckfydk Hkzw.k gR;k ,d v/;;u** fo"k; ij 'kks/kkFkhZ }kjk izLrqr fd;k tk jgk gSA Hkkjr esa jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dk xBu] 1993 ds ekuo vf/kdkj lqj{kk vf/kfu;e ds rgr gqvkA laln us ,d vf/kfu;e ikfjr djds Hkkjrh; jk"Vªh; ekuokf/kdkj vk;ksx ds lafo/kku dh LFkkiuk fd;kA jk"Vªh; ekuokf/kdkj vk;ksx ¼,u-,p-vkj-lh-½ bldh LFkkiuk ls gh dk;ZØe ,oa uhfr fu/kkZj.k] izfrekuksa rFkk fu;eksa ds fuekZ.k

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र ''मानवाधिकार आयोग के परिप्रेक्ष्य में बालिका भ्रूण हत्या एक अध्ययन'' विषय पर आधारित है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, 1993 के मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत हुआ। संसद ने एक अधिनियम पारित करके भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संविधान की स्थापना किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) इसकी स्थापना से ही कार्यक्रम एवं नीति निर्धारण, प्रतिमानों तथा नियमों के निर्माण और क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का पर्याप्त सूत्रपात किया। मानवाधिकार की उपयोगिता से संबंधित कई क्षेत्रों के व्यावहारिक पक्षों जैसे–कन्या भ्रूण हत्या, राजनीतिक हत्या, अपहरण, प्रताड़ना, मृत्युदण्ड, प्रजाति, लिंग एवं रंग आदि के आधार पर भेदभाव, नृजातीय संघर्ष, महिलाओं की स्थिति, बन्धुआ और बाल मजदूरी, पुलिस प्रताड़ना, जेल सुधार, विकलांगों के अधिकार, शरणार्थियों के अधिकारों और मानवतावादी सहायता और शांति स्थापना, अछूते नहीं है।

मुख्य शब्द

मानवाधिकार आयोग एवं बालिका भ्रूण हत्या।

परिचय

मानव का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि, प्रत्येक मानव समाज में व्यक्ति की गरिमा तथा व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंधों को परिभाषित करने का सक्रिय प्रयास किया गया है। सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक पदक्रम, जन्म, लिंग, शासकीय या दैवीय शक्तियाँ इन मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।

इस प्रसंग में मानव अधिकार की अवधारणा जो कभी–कभी निजी अधिकारों पर बल देती है, समाज के साथ अंतर्विरोध पैदा करती है। लेकिन इस संदर्भ में,

जैसा कि मानव अधिकारों के प्रवर्तकों की धारणा है कि मानव अधिकार स्वयं में, अन्तर्निहित, अपृथकरणीय एवं वैश्विक है। सरल भाषा में कहें तो, कुछ मूलभूत मानव अधिकार हैं, जिन्हें व्यक्ति या समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। 'विहित' इस अर्थ में है कि ये अधिकार जन्मजात है, 'न अलग किए जाने वाला' इस अर्थ में है कि इन्हें मानव से अलग नहीं किया जा सकता, तीसरे अपने प्रकृति (स्वभाव) में 'वैश्विक' है क्योंकि समस्त मानव समाज के लिये अनिवार्य है।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण कन्या को संसार में आने से रोकने के लिये गर्भावस्था में जांच करवाकर भ्रूण हत्या करने के प्रयास किये जाते हैं और कई बार पैदा होते ही मार दिये जाने की घटनाओं में कन्या के साथ–साथ मानवाधिकार का भी हनन किया जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार बालिका शिशु तथा कन्या भ्रूण की हत्या वास्तव में भारत में स्त्री पुरुषों की जनसंख्या में असन्तुलन का कारण बन रही है।

शोध उद्देश्य

1. मानवाधिकार आयोग का अध्ययन करना।
2. मानवाधिकार आयोग के परिप्रेक्ष्य में बालिका भ्रूण हत्या का अध्ययन करना।

भारतीय संविधान और मानव अधिकार

भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए अलग से अध्याय तीन की नियोजना की गयी है। मानव समाज में व्याप्त विषमता को दूर करने का प्रयास भी भारतीय विधान के द्वारा किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार किए गए हैं।

भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, समानता एवं न्याय को सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी हमारे संविधान में है।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने सदैव मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया। भारत के पड़ोसी देशों का उदाहरण देखें तो करीब–करीब हर देश में लोकतंत्र पर चोट की गई है। वहां की जनता को लगातार तानाशाही शासन व्यवस्था का शिकार होना पड़ा है।

सबको मताधिकार, बहुराजनीतिक दल, कानून का शासन यह तीन मुख्य गुण हमारे लोकतंत्र के आधार हैं। भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ जनमत भारतीय प्रजातंत्र के रक्षक एवं प्रहरी हैं।

हमारी राजव्यवस्था में इन उपायों एवं उद्देश्यों के बावजूद, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मानव अधिकारों के उल्लंघन एवं हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। यह विशेषतः तीन स्तरों पर मिलता है–व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक और राज्य स्तर पर। भारत की अधिकांश जनता गांवों में बसती है। जनसंख्या का यह विशाल वर्ग गरीब और अशिक्षित है। इसलिए आसानी से इनका शोषण किया जा रहा है। बालश्रम और बंधुआ मजदूरी इसका उदाहरण है। जमींदार, स्वार्थी राजनीतिज्ञ, जनजातियों के नेता लगातार शोषण कर रहे हैं।

मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने, कमजोर वर्गों के हितों के लिए आयोग का गठन किया है। अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का गठन किया है। लेकिन इन सबसे बढ़कर 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। जिसके पास इस संबंध में खोज एवं सिफारिशें करने का अधिकार है। आयोग का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद के समक्ष रखा जा सकता है।

मानवाधिकार आयोग जहां मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए बना है, वहीं बालिका भ्रूण हत्या के लिए भी कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या कई दिशाओं से मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की सीमा में आती है। शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकार आयोग के परिप्रेक्ष्य में बालिका भ्रूण हत्या का अध्ययन करना ही है।

कन्या भ्रूण हत्या

मानव अधिकार, मानव यानि मनुष्य के अधिकारों के लिए ही बना है। मनुष्य पर यदि कोई ज्यादती होती है, या उसके अधिकारों का हनन होता है तो मानवाधिकार के तहत उस पर कार्यवाही होती है। कन्या भ्रूण हत्या भी मानवाधिकार कानून के तहत आती है। कन्या भ्रूण हत्या विशेषतः मानवता और विशेष रूप से सम्पूर्ण स्त्री जाति के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध माना गया है। पुत्र की अभिलाषा परिवार नियोजन के छोटे परिवार की संकल्पना के साथ जुड़ती है और दहेज की प्रथा ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहाँ बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जाता है। इसलिए समाज के तथाकथित लोग माता के गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या करने का सबसे जघन्य अपराध करते हैं। इस तरह के अनाचार ने मानवाधिकार, वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग और दुरुपयोग की नैतिकता और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को जन्म दिया है।

परिवारजन गर्भ से लिंग परीक्षण जाँच के बाद कन्या भ्रूण की हत्या कर देते हैं। केवल पुत्र प्राप्ति हेतु परिवार में बुजुर्ग सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिये जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव खासतौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जाती है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। भारतीय समाज में अनचाहे रुप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है।

कन्या भ्रूण हत्या ने बुराइयों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है। पिछले तीन दशकों में बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या के कुप्रभाव गिरते लिंगानुपात और विवाह योग्य लड़कों के लिए वधुओं की कमी के रूप में सामने आये हैं। इसके अलावा जनसंख्या विज्ञानी आगाह करते हैं कि अगले बीस सालों में चूँकि विवाह योग्य महिलाओं की संख्या में कमी आएगी इसलिए पुरुष कम उम्र की महिलाओं से विवाह करेंगे, जिससे जन्मदर में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि के दर भी ऊँची हो जाएगी। लड़कियों को अगवा करना भी इसी से जुड़ी एक समस्या है। अविवाहित पुरुषों की अधिक तादाद वाले समाज के अपने खतरे हैं। यौनकर्मी के तौर पर अधिक महिलाओं का शोषण होने की सम्भावना है। यौन शोषण और बलात्कार इसके स्वाभाविक परिणाम हैं। पिछले कुछ सालों से यौन अपराधों का तेजी से बढता ग्राफ असमान लिंगानुपात के परिणामों से जुड़ा है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 312 कहती है, 'जो कोई भी जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात करता है जब तक कि कोई इसे सदिच्छा से नहीं करता है और गर्भावस्था का जारी रहना महिला के जीवन के लिए खतरनाक न हो, उसे सात साल की कैद की सजा दी जाएगी'। इसके अतिरिक्त महिला की सहमति के बिना गर्भपात (धारा 313) और गर्भपात की कोशिश के कारण महिला की मृत्यु (धारा 314) इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। धारा 315 के अनुसार मां के जीवन की रक्षा के प्रयास को छोड़कर अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले ऐसा काम करता है जिससे जीवित बच्चे के जन्म को रोका जा सके या पैदा होने का बाद उसकी मृत्यु हो जाए, उसे दस साल की कैद होगी। धारा 312 से 318 गर्भपात के अपराध पर सरलता से विचार करती है, जिसमें गर्भपात करना, बच्चे के जन्म को रोकना, अजन्मे बच्चे की हत्या करना (धारा 316), नवजात शिशु को त्याग देना (धारा 317), बच्चे के मृत शरीर को छुपाना या इसे चुपचाप नष्ट करना (धारा 318)। हालाँकि भ्रूण हत्या या शिशु हत्या शब्दों का विशेष तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी ये धाराएं दोनों अपराधों को समाहित करती हैं।

मानवाधिकार के अनुच्छेद 5 में ''अमानवीय व्यवहार तथा यातना का निषेध किया गया है।'' लेकिन गर्भपात के दौरान अमानवीय कृत्य भी किया जाता है तथा अजन्मी बालिका का गला भी घोंट दिया जाता है। गर्भावस्था से ही कन्या भ्रूण हत्या कर उसके अधिकारों को जन्म से पहले ही समाप्त करने का घृणित कार्य किया जा रहा है।

भारत में कुछ ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण एवं विकास की दिशा में काम कर रही है। अतएव इन संस्थाओं के साथ सहयोग करना मानव अधिकार आयोग के लिये जरूरी है।

1964 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने शांतिलाल शाह नाम से समिति गठित की। इस समिति को महिलाओं द्वारा की

जा रही गर्भपात की कानूनी वैधता की मांग के मद्देनजर महिला के प्रजनन अधिकार के मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार करने का काम सौंपा गया। 1971 में संसद में गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम, 1971 (एमटीपी एक्ट) पारित हुआ जो 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ और इसे उक्त अधिनियम के दुरुपयोग की संभावनाओं को को खत्म करने के उद्देश्य से गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 और 2002 में संशोधित किया गया। गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम केवल आठ धाराओं वाला छोटा अधिनियम है। यह अधिनियम महिला की निजता के अधिकार, उसके सीमित प्रजनन के अधिकार, उसके स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के अधिकार, उसका अपने शरीर के सम्बन्ध में निर्णय लेने के अधिकार की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन कुछ बेईमान लोग केवल कन्या भ्रूण को गिराकर इसका बेजा फायदा उठा रहे हैं। एमटीपी एक्ट में गर्भ को समाप्त करने की दशाएं (धारा 3), और ऐसा करने के लिए व्यक्ति (धारा 2 क) और स्थान (धारा 4) को निर्धारित किया गया है।

जमीनी स्तर पर स्थानीय पंचायतों को भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। स्थानीय नेताओं को अपने इलाके के शिक्षित लोगों को जागरूक करने, जनता को शिक्षित करने के लिए नियुक्त करना चाहिए ताकि लोगों का सबलीकरण हो और कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियानों में महिलाओं को अभियानों में सबसे आगे खड़ा करना चाहिए।

कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं रोकने के उपाय

सरकार ने देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसमें जागरुकता पैदा करने और विधायी उपाय करने के साथ–साथ महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने के कार्यक्रम शामिल हैं। इनमें से कुछ उपाय नीचे दिए गए हैः

1. गर्भ धारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसवपूर्व निदान तकनीक को नियमित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कानून, गर्भधारण से पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर रोक) कानून 1994 में लागू किया। इसमें 2003 में संशोधन किया गया।
2. सरकार इस कानून को प्रभावकारी तरीके से लागू करने में तेजी लाई और उसने विभिन्न नियमों में संशोधन किए जिसमें गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने और उन्हें जब्त करने तथा गैर–पंजीकृत क्लीनिकों को दंडित करने के प्रावधान शामिल है।
3. पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरण के इस्तेमाल का नियमन केवल पंजीकृत परिसर के भीतर अधिसूचित किया गया। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक जिले के भीतर अधिकतम दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर ही अल्ट्रा सोनोग्राफी कर सकता है। पंजीकरण शुल्क बढ़ाया गया।
4. कुछ कलुषित सामाजिक परम्पराओं और मान्यताओं के चलते भारतीय परिवार में बालिकाओं के प्रति अपनी संवेदनाओं को नकारते हुए माता के गर्भ में भ्रूणावस्था में ही समाप्त करने जैसे घृणित कार्य को कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है और आज बड़े पैमाने पर देश भर के कस्बों शहरों, और महानगरों में निजी क्लिनिकों में गर्भावस्था के प्रारम्भिक दिनों में भ्रूण परीक्षण हो रहे हैं तथा गर्भवती महिलाओं, उनके परिजनों और डाक्टरों की मिलीभगत से कन्या भ्रूण हत्यायें की जा रही हैं।
5. भारत में मानवाधिकारों को भारतीय संविधान के तीसरे व चौथे अनुच्छेद में संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, फिर भी मानवाधिकारों की उल्लंघन समाज में प्रतिदिन दिखायी देता है। विशेष तौर पर स्त्रियों के प्रति, क्योंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है और समाज में सदैव स्त्रियों को दोयम दर्जा दिया जाता है। यही कारण है कि अपने मानवाधिकारों के लिये स्त्रियों को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। आजकल महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की प्रतियोगी हैं, फिर भी वह पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हैं। मानवाधिकार के प्रथम अनुच्छेद में वर्णित है कि सभी मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुये हैं अतः वह अधिकारों और महत्ता के क्षेत्र में समान हैं। उनमें विवेक और चेतना है। अतः उन्हे परस्पर भाई–चारे के भाव से बर्ताव करना चाहिये। इस आधार पर मानवाधिकार सभी जन्मे एवं अजन्मे शिशु के अस्तित्व की रक्षा की बात करता है।

निष्कर्ष

हमें अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालना चाहिए और उन्हें समान रूप से सफल बनाना चाहिए और इस पुरानी धारणा को खारिज करना चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा केवल विवाह के लिए ही काम आती हैं। दुनिया का सामना करने के लिए शिक्षा एक हथियार है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या की गंभीर चुनौती को रोकने के लिए हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाकर और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू कर महिला अधिकारों को मजबूती देनी होगी।

यह एक ऐसा अपराध है, जो भावी समाज के लिये खतरा बन रहा है। यह कृत्य सर्वप्रथम तो गर्भवती महिलाओं के मौलिक अधिकारों का खुला हनन कर रहा है। उन्हें भी अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म देने का अधिकार है। यदि वह अपनी कन्या भ्रूण को जन्म देना चाहती है तो उसे यह अधिकार अवश्य ही प्राप्त होना चाहिये। दूसरे गर्भ में पलने वाली शिशु कन्या को जीवित रखने के अधिकार से वंचित कर हत्या के अपराध का कारण बन रहा है। यह गर्भस्थ शिशु के मानवाधिकारों का हनन है।

सुझाव

1. केवल कानून बना देने से सामाजिक बुराई का अंत नहीं हो सकता। महिलाओं के प्रति भेदभाव आम बात है और खास तौर पर कन्या के प्रति उपेक्षा हमारे समाज में गहरे जड़ों तक धंसी है। तमाम कानूनों के बावजूद समाज में पुरुषों की श्रेष्ठता की गलत अवधारणा समाज के लिए खतरनाक है। आम जनता को महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध भेदभाव रखने वाली प्रथाओं के उन्मूलन के लिए संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
2. गिरते लिंग अनुपात को सँभालने की जरुरत है, और इसमें राज्य, मीडिया, पत्रकारों, गैर–सरकारी संगठनों, चिकित्सकों, महिला संगठनों और जनता को साथ खड़े होने की आवश्यकता है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कन्या भ्रूण हत्या विरोधी कानून पूरे तरीके से और कारगर ढंग से लागू हो पाएं।
3. निगरानी, शैक्षिक अभियान और प्रभावी कानूनी क्रियान्वन, इन सबके संयोजन से लोगों के मन में गहरी बैठी महिला और कन्या विरोधी मानसिकता और कुप्रथाओं को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में धार्मिक नेताओं को भी आगे आना चाहिए। उन्हें धर्मग्रंथों के सम्बन्ध में भ्रांतियों के बारे में स्पष्ट करना चाहिए और वैज्ञानिक, तार्किक और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। पारंपरिक रूप से पुत्र के जन्म तक सीमित धार्मिक कर्मकांडों को बेटी के सन्दर्भ में भी विस्तृत करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. मानव अधिकार मैनुअल, विदेश एवं व्यापार विभाग, आस्ट्रेलियन गर्वनमेन्ट पब्लिकेशन सर्विस, केनबेरा, पृ.10।
2. सिंह, संजय, (2010), *संविधान और मानवाधिकार,* दिल्ली पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
3. त्रिपाठी, मधुसूदन, (2011), *संविधान और महिला अधिकार,* दिल्ली खुशी पब्लिकेशन।
4. त्रिपाठी, मधुसूदन, *भारत में मानवाधिकार,* दिल्ली ओमेगा पब्लिकेशन।

****